



Dr. S.K. Bairwa
Senior Scientist & Head

कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी, जोधपुर-II
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान)
Krishi Vigyan Kendra, Phalodi, Jodhpur-II
(Agriculture University, Jodhpur, Rajasthan)



Email: kykpalodi@gmail.com

No.KVK/PHLD/2025-26/ 31-35

DATE: 13/05/2025

खुली निविदा सूचना 03 / 2025-26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) के वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्न कार्यों की आवश्यकतानुसार श्रमिकों की आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों/सेवाप्रदाता संस्थाओं/कृषिकों जिनके पास श्रमिक आपूर्ति लाइसेंस हो, निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 20/05/2024 को प्रातः 10:30 बजे तक सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रुपये 500/- (रुपये पांच सौ मात्र) **Krishi Vigyan Kendra (KVK), Phalodi** के पक्ष में बैंक ड्रॉप्ट, बैंक चैक या नकद का भुगतान कर दिनांक 20/05/2025 को प्रातः 10:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा <http://www.sppp.rajasthan.gov.in> तथा <http://www.aujodhpur.ac.in> से डाउनलोड कर सकते हैं। प्राप्त निविदाएं उसी दिन दोपहर 12:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (रु.)	2 प्रतिशत धरोहर राशि (रु.)	आवेदन शुल्क (रु.)
1.	कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी पर विभिन्न कार्यों के लिए— अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु	4,99,000/-	10000/-	500/-

(Signature)
13/05/2025

(श्रीकिशन बैरवा)
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. श्रीमान् प्रसार शिक्षा निदेशक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
3. कोषाधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
4. फार्म प्रभारी/कमेटी कन्वेनर/सदस्य
5. नोटिस बोर्ड फार्म/कार्यालय/पंचायत समिति/.....
6. गार्ड फाईल

(Signature)
13/05/2025

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

९

कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

निविदाप्रपत्र

(श्रमिक आपूर्ति निविदा प्रपत्र)

No.KVK/PHLD/2025-26/31-35

DATE: 13/05/2025

निविदाप्रपत्र-I

1. कार्य का विवरण: **श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा**
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म/व्यापारी का नाम व पूर्ण पता.....
3. दूरभाष संख्या.....
4. आयकर स्थायी खाता संख्या.....
5. टीन नम्बर.....
6. जीएसटी पंजीयन क्रमांक.....
7. निविदा जिसको संबोधित की गई है-वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी।
8. निविदा शुल्क की राशि 500-/- की राशि नकद/डीडीदिनांक जो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी। के नाम जो फलोदी में देय है। (सलंगन है)
9. अमानत राशि का नकद/डीडी जिसका क्रमांक..... दिनांकजो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी के नाम जो फलोदी में देय है। (सलंगन है)
10. मैंने/हमने कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तों तथा सलंगन निविदा की शर्तों एवं अतिरिक्त शर्तों को भली-भांति अध्ययन कर लिया है। जिसके लिये मैं/हम बाध्य हूँ/हैं उन्हें स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
11. मैं/हम निम्नलिखित कार्य को उनके सम्मुख अंकित दर (सभी करें एवं खर्च सहित) करने एवं देने को सहमत हूँ/हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता की घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्ण रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि मैंने/हमने प्लेसमेंट कार्य/सेवा ईकाई की जहाँ कहीं भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति सेवा ईकाईयों के संतोषप्रद कार्य न करने/होने के कारण मुझे/हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि मेरा/हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter/दोषी का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा विषयान्तर्गत मुझे/हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

५

No.KVK/PHLD/2025-26/ 31-35

DATE: 13/05/2025

निविदाप्रपत्र-II

क. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970			
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952			
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			
4.	वस्तु एवंसेवा कर (GST)			
5.	आय कर (पैन नंबर)			
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिकसंस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत			

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	सेवा प्रदाता द्वारा न्यूनतम दर प्रति व्यक्ति प्रति 8 घंटे (राज्य सरकार के अनुसार)	EPF	ESI	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज	अन्य कर	कुल दरें समस्त कर एवं सर्विस चार्ज सहित
1.	अकुशल श्रमिक	आवश्यकतानुसार						
2.	अर्द्धकुशल श्रमिक	आवश्यकतानुसार						
3.	कुशल श्रमिक	आवश्यकतानुसार						
4.	उच्च कुशल श्रमिक	आवश्यकतानुसार						

हस्ताक्षर निविदा दाता (टेकेदार)

५

निविदा हेतु शर्तें

परिशिष्ट संख्या-1

1. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द होनी चाहिए। निविदा का विवरण लिफाफे के ऊपर साफ लिखकर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदीस्पष्ट लिखकर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
2. निविदा लिफाफे पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा क्रमांक तथा दिनांकलिखा होना चाहिये।
3. प्रस्तावित दर अंकों में स्पष्ट लिखकर देना होगा किसी भी प्रकार की काट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। उक्त दरें 31.03.2026 तक मान्य होगी जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।
4. निविदादाता/फर्म का केन्द्र/राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
5. प्रस्तावित दर देने से पूर्व समस्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की स्थिति में भुगतान प्रति की प्रतिलिपी संलग्न करें।
7. निविदा प्रपत्र कार्यालय में कार्य दिवस में रुपये 500/- जमा नकद/D.D. (in favour of KRISHI VIGYAN KENDRA (KVK), PHALODI) के द्वारा करा कर प्राप्त किया जा सकता है।
8. निविदा के साथ रुपये 10000/- धरोहर राशि रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट के साथ जो कि कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी के नाम देय हो, प्रस्तुत करें। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा धरोहर राशि के रूप में चेक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने ई.पी. एफ/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए इस संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. अगर निविदादाता/फर्म अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है व श्रमिकों को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटा दिया जावेगा और जमा अमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी।
11. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
12. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
13. निविदासूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तों निविदा का भाग मानी जाएगी।
14. निर्धारित समय में कार्य संपन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
15. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
16. न्यूनतम मजदूरी दर राजस्थान सरकार (श्रम विभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ. 8(5)(6)न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2000/पार्ट/17953 जयपुर, दिनांक 28.06.2022 के अनुसार लागू होगी। दरें परिवर्तित होने पर श्रमिकों को उसी दर से भुगतान करना होगा।
17. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होगी।
18. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये निविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर इस संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशिका भुगतान किया जा सकेगा।
19. आवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाते में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई राशिका विवरण इस संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशिका विवरण के बाबत इस संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
20. केन्द्र द्वारा निविदादाता/फर्म के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने की शिकायत

७

- परकेन्द्र की कमेटी द्वारा निर्धारित पेनलटी के हिसाब से कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदीमें क्षति (पेनल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। भुगतान देरी से होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
21. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
 22. आवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
 23. आवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर सूचना पट्ट लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाइन नं. एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
 24. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
 25. आवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान के प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
 26. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व आवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
 27. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
 28. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
 29. फर्म/प्लेसमेंट एजेंसी की RTPP ACT 2012, RTPP ACT 2013 एवं GR&AR में उपलब्ध प्रावधान की पालना करनी होगी तथा उल्लंघन पर प्रावधानानुसार कार्यवाही/क्षति/पेनल्टी वसूली जावेगी।
 30. श्रमिकों को लाने, ले जाने, आदि कार्य व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
 31. चौकीदार/लेबर आदि अपनी उपस्थिति प्रत्येक माह कार्य से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापित करायेगा। अधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन के पश्चात् ही उस माह का मानदेय देय होगा।
 32. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद का न्यायिक क्षेत्र फलोदी होगा।
 33. किसी भी शर्त की पूर्ववत पालना न होने पर निविदा किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
 34. नियमानुसार टीडीएस काटा जावेगा।
 35. निविदा प्रपत्र भरने हेतु आधार/पैनकार्ड होना आवश्यक है (जिसकी स्व हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें)।
 36. निविदादाता/फर्म को बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा-पत्र (Form of Bid-Securing Declaration) कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी के नाम निविदा प्रारूप के साथ प्रस्तुत करना होगा।
 37. कार्यों का भुगतान संतोषजनक होने पर ही प्रत्येक माह का भुगतान देय होगा। किसी भी लापरवाही के चलते व अनुपस्थिति की अवस्था में दैनिक वेतन काटने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
 38. किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यदि श्रमिक कार्यालय/कार्यस्थल से अनुपस्थित पाया जाता है या कार्य में लापरवाही पायी जाती है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
 39. यह ठेका किसी अन्य फर्म को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिस फर्म के नाम ठेका है वही कार्य करेगी अन्य कोई नहीं। फर्म खुद श्रमिक लगाकर इन कार्यों को करवा सकती है जिसका भुगतान फर्म अपने स्वयं के मासिक भुगतान में से करेगी।
 40. सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु प्रपत्र में दी गई दरें 31 मार्च 2026 तक के लिए मान्य होंगी, जिसे आपसी सहमति आगे प्रचलित दरों पर बढ़ाया जा सकता है।
 41. केन्द्र में प्रतिदिन आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध करवाने हेतु निविदाकर्ता बाध्य होगा। यदि निविदाकर्ता समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाता है तो कार्य को देखते हुए केन्द्र अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा तथा अतिरिक्त धन राशि का श्रमिकों को किया गया भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
 42. किसी भी ब्लैक लिस्टेड फर्म व जिस फर्म का पूर्व में किसी भी तरह किसी संस्था व इस केन्द्र द्वारा उसका भुगतान काटा गया हो तो वह इस कार्य के ठेके में अपना आवेदन नहीं करेगा।

42. किसी भी ब्लैक लिस्टेड फर्म व जिस फर्म का पूर्व में किसी भी तरह किसी संस्था व इस केन्द्र द्वारा उसका भुगतान काटा गया हो तो वह इस कार्य के ठेके में अपना आवेदन नहीं करेगा।
43. समस्त भुगतान स्वीकृत फर्म/प्लेसमेंट एजेन्सी को बैंक/NEFT/ई-भुगतान/बैंक द्वारा किया जावेगा।
44. श्रमिकों को संबंधित कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम धन राशि देय नहीं होगी।
45. कार्यालय में श्रमिक आवश्यकतानुसार ही लगाए जाएंगे व नियोजित करने का अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। केन्द्र द्वारा स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति होने पर उन श्रमिकों को हटाया जा सकता है।
46. निविदादाता उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने हेतु पाबन्द रहेगा/रहेगी।
47. अर्द्धकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले को पढ़ना व लिखना आना जरूरी है।
48. राजस्थान सरकार द्वारा दरों में किसी भी प्रकार का संशोधन किये जाने पर संशोधित दरें लागू होगी।
49. दो या दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा दी गयी दरों में यदि समानता होती है तो कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी द्वारा किया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
50. अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग फर्मों के न्यूनतम दरें प्राप्त होने पर निविदा का विभाजन नहीं किया जायेगा।
51. यदि कोई फर्म न्यूनतम दर पर कुछ भी सर्विस चार्ज नहीं दर्शाती है तो ऐसी फर्म को गैर जवाबदेहीमाना जायेगा।
52. उक्त शर्तों को अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में फर्म/प्लेसमेंट एजेन्सी हस्ताक्षर एवं मोहर करदी है। उपरोक्त शर्तों की सहमति दो गवाहों से सत्यापित करवाकर रु500/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र लिखकर कार्यालय में देना होगा तथा धरोहर राशि पांच प्रतिशत की शेष राशि नगद या डिमांड ड्राफ्ट जो KRISHI VIGYAN KENDRA (KVK) PHALODI के नाम कार्यालय में जमा करवानी होगी।



वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

मुझे (निविदादाता) को समस्त उपरोक्त शर्तें मंजूर हैं एवं मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिये सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता (ठेकेदार)